कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीशः शाहदरा
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

## परिपत्र

आप सभी को सूचित किया जाता है माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहदरा जिला, की स्वीकृति से, दिनांक 06.08.2019 से 20.08.2019 तक, शाहदरा जिला में नियुक्त सभी वर्ग के कर्मचारियों को हिन्दी भाषण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी में काम करने के लिए सक्षम बनाना है। इच्छुक कर्मचारी उक्त प्रशिक्षण हेतु अपना अनुरोध 05.08.2019 तक संलग्न स्वेच्छा प्रपत्र को भरकर राजभाषा हिन्दी अनुभाग, शाहदरा जिला को प्रेषित करें।

(विधि गुप्ता आनंद)
नोडल अधिकारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग,
जिला शाहदरा,कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

परिपत्र की प्रति सूचना एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है:-

संख्या 4846-4851 /हिन्दी/शाहदरा/2019/दिल्ली दिनांक 1/8/19

1. निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
2. समस्त न्यायिक अधिकारी, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली, को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सूचित करें।
3. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय,दिल्ली।
4. समस्त अनुभागों/शाखाओं के प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली को अपने अधिनस्थ सभी कर्मचारियों को सूचित करने हेतू।
5. वेबसाइट समिति, कड़कड़डूमा न्यायालय/तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. संबंधित फाईल।

नोडल अधिकारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग,
जिला शाहदरा,कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।